



2026:AHC:4464-DB

दिनांक 17.11.2025 को आरक्षित

दिनांक 08.01.2026 को निर्णय सुनाया गया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2968 सन् 1987

राम और अन्य

अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : अंकुर मिश्रा, औशिम लूथरा, ओशे लूथरा, शिव बहादुर सिंह,
सुनील वशिष्ठ

प्रतिवादी के अधिवक्ता : डी.जी.ए.

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-।

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा निर्णय प्रदत्त)

1. हमने अपीलकर्ता संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.बी. सिंह, अपीलकर्ता संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री औशिम लूथरा, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए को सुना और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

2. उपर्युक्त आपराधिक अपील, सत्र परीक्षण संख्या 276/1983 (राज्य बनाम श्री राम और अन्य), थाना मोहम्मदबाद, जिला फर्रुखाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.1987 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्येक अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने (जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कारावास) का दंड दिया गया है; भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास; भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अंतर्गत प्रत्येक को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने (जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास) का दंड दिया गया है; सभी दंड एक साथ चलेंगे।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता बृजराज सिंह (प्रथम गवाह) का घर बसंतपुर गांव के सुदूर दक्षिण-पूर्व में स्थित है, जो मोहम्मदबाद थाना, जिला फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता है। बृजराज सिंह के घर का निकास भी उत्तर दिशा की ओर है। घटना वाले दिन शिकायतकर्ता के घर में दरवाजा नहीं लगा हुआ था। शिकायतकर्ता के घर का एक और दरवाजा दक्षिण-पूर्व दिशा में है, जिसमें दरवाजा लगा हुआ था और वह अंदर से बंद था। शिकायतकर्ता का बैठका (ड्राइंग रूम) उसके घर से पूर्व दिशा की ओर जुड़ा हुआ है। पश्चिम दिशा में इस बैठका की संलग्न भूमि (सेहन) है और फिर इस सेहन के पश्चिम में बरामदा, कमरे आदि स्थित हैं। बसंतपुर गांव में केवल 20-25 घर हैं। सराय अगट गांव बसंतपुर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सराय अगट गांव एटा जिले के अलीगंज थाने के अंतर्गत आता है, जबकि बसंतपुर गांव फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदबाद थाने के अंतर्गत आता है।

4. मृतक लाला राम शिकायतकर्ता के पिता थे और जदुनाथ सिंह शिकायतकर्ता के सगे भाई थे। घायल उजिर सिंह, पी.डब्ल्यू.-2, भी शिकायतकर्ता बृजराज सिंह के सगे भाई हैं। इस मामले के आरोपियों में से एक हमीर सिंह का निधन हो चुका है और आरोपी पूरन सिंह और पृथ्वी राज उनके पुत्र हैं। आरोपी राजा राम, बेनी राम का बहनोई है। आरोपी जय राम और श्री राम बसंतपुर गांव के निवासी हैं, जबकि आरोपी पति राम और रघुबीर एटा जिले के मेहमादपुर गांव के निवासी हैं। सभी आरोपी शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को पहले से जानते थे। शिकायतकर्ता पक्ष और मृतक हमीर सिंह तथा आरोपी श्री-राम के बीच समेकन न्यायालयों में मुकदमा चल रहा था, जिसमें शिकायतकर्ता पक्ष विजयी हुआ था। मृतक लाला राम ने याकूब अली और अन्य से पंजीकृत विक्रय विलेख के तहत सरायगत ग्राम में स्थित आबादी की जमीन खरीदी थी। उक्त भूमि का टुकड़ा (बिक्री विलेख प्रदर्शक 1) अभिलेख में दर्ज है। हमीर सिंह (मृत) और उनके पुत्र, जो इस मामले में आरोपी हैं, भी याकूब अली और अन्य लोगों से इस भूमि को खरीदना चाहते थे, और चूंकि इसे लाला राम (मृत) ने खरीद लिया था, इसलिए हमीर सिंह और उनके पुत्रों ने इस पर आपत्ति जताई। यह विक्रय विलेख वर्तमान घटना से ढाई-तीन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

महीने पहले निष्पादित किया गया था। शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा आबादी की एक अन्य भूमि खरीदने और उसका निस्तारण करने पर सहमति बनी थी। आरोपी पूरन सिंह और अन्य लोग भी इस भूमि को खरीदना चाहते थे। खुली नीलामी हुई और कोई भी पक्ष इसे खरीद नहीं सका। इस बात से आरोपी भी नाराज थे, जो एक ही समूह के सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता पक्ष और आरोपी व्यक्तियों के बीच दुर्भावना थी।

5. आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि 22/23.10.1981 की रात को, फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसंतपुर मौजा संकिसा गांव में, लगभग आधी रात को, शिकायतकर्ता बृजराज सिंह, उनके भाई महाराज सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर के अंदर लेटे हुए थे और संलग्न बैठक में लाला राम, उनके बेटे जदुनाथ सिंह, उजिर सिंह और कुंवर सिंह लेटे हुए थे। बरामदे की दीवार पर बने खूंटी पर एक लालटेन जल रही थी। बैठका में भी हमेशा की तरह एक लालटेन जल रही थी, जिससे बैठका में पर्याप्त रोशनी थी। लगभग आधी रात को करीब 12 बदमाशों ने घर में घुसकर दो-तीन गोलियां चलाईं। इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता बृजराज सिंह और उनके भाई महाराज सिंह की नींद खुल गई और उन्होंने घर के अंदर आरोपियों और तीन अज्ञात व्यक्तियों को देखा। उनमें से हमीर सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी। आरोपी जय सिंह, पूरन सिंह और पति राम के पास बंदूकें थीं, जबकि आरोपी राजा राम और रघुवीर के पास कट्टा था। बाकी आरोपियों के पास लाठियां और डंडे थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर बैठका में मौजूद जदुनाथ सिंह, लाला राम, उजिर सिंह और कुंवर सिंह भी घर के सेहन में आ गए और अचानक ही आरोपी पूरन सिंह, जय सिंह, पति राम, रघुवीर और राजा राम ने बंदूकों और कट्टा से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप जदुनाथ सिंह, उजिर सिंह और लाला राम को गोली लगने से चोटें आईं। इन चोटों के परिणामस्वरूप जदुनाथ सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उजिर सिंह और लाला राम घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता बृजराज सिंह अपने घायल भाई उजिर सिंह और पिता लाला राम को बैलगाड़ी में बिठाकर सराय अगट गांव ले गया, जबकि जदुनाथ सिंह का शव घर के अंदर ही पड़ा रहा। कुछ ही समय में शिकायतकर्ता ने सराय अगट गांव में एक बस का इंतजाम कर लिया और इसी दौरान उसने घटना की लिखित रिपोर्ट (प्रदर्शक 2) तैयार की और घायल उजिर सिंह और लाला राम के साथ उसे कायमगंज थाने ले गया। आरोप है कि अस्पताल जाते समय लाला राम ने भी दम तोड़ दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क 2) के आधार पर एक चिक रिपोर्ट (प्रदर्श क 15) तैयार की गई और आरोपी के खिलाफ जी.डी. एंट्री कॉपी (प्रदर्श क 16) के माध्यम से मामला दर्ज किया गया। विवेचनाधिकारी ने मामले की जांच शुरू की। वह घटनास्थल पर पहुंचा, गवाहों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का नक्शा नजरी (प्रदर्श क 18) तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने जदुनाथ सिंह के शव का पंचायत नामा (प्रदर्श क 9) तैयार किया। उन्होंने चालान लैश (प्रदर्श क 10), फोटो लैश (प्रदर्श क 11), सी.एम.ओ. पत्र (प्रदर्श क 12) और आर. आई. पत्र (प्रदर्श क 13) भी तैयार किए। इसी बीच, फतेहगढ़ जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चोट रिपोर्ट प्रदर्श क 4 के माध्यम से उजिर सिंह की चोट की चिकित्सकीय जांच की गई। विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल से प्रयोग किए गए कारतूस भी एकत्र किए और उसका मेमो (प्रदर्श क 17) तैयार किया। उन्होंने सादी और रक्तरंजित मिट्टी को दो अलग-अलग डिब्बों में एकत्र किया और उसका मेमो (प्रदर्श क 20) तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने गवाहों की टॉर्चों का आगे निरीक्षण किया और मेमो (प्रदर्श क 21) तैयार करने के बाद उन्हें सुपुर्दगी में सौंप दिया। विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल पर जल रही लालटेनों का भी निरीक्षण किया और उसका विवरण (प्रदर्श क 22) तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने लाला राम के शव का पंचायत नामा (प्रदर्श क 23) तैयार किया। उन्होंने चालान लैश (प्रदर्श क 24), फोटो लैश (प्रदर्श क 25), आर.आई. को पत्र (प्रदर्श क 26) और सी.एम.ओ. को पत्र (प्रदर्श क 27) भी तैयार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क 7 और क 3 के अनुसार जदुनाथ और लाला राम के शवों का पोस्टमार्टम फतेहगढ़ जिला अस्पताल में किया गया। आवश्यक औपचारिकताओं और जांच पूरी करने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र (प्रदर्श क 29 और क 30) प्रस्तुत किए गए।

7. आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और मुकदमे की मांग की। उनका बचाव यह है कि उन्हें आपसी दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

8. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों से पूछताछ की, वे शिकायतकर्ता हैं, बृजराज सिंह, पी.डब्ल्यू.1; घायल उजिर सिंह, पी.डब्ल्यू.2; डॉ. सी.एन. भल्ला, पी.डब्ल्यू.3; चिकित्सा अधिकारी, डॉ. ए.के. दुबे, पी.डब्ल्यू.4; सहायक जांचकर्ता लाला राम, पी.डब्ल्यू.5; सहायक अस्पताल अधिकारी, सूरज मल, पी.डब्ल्यू.6; कांस्टेबल रामजीतल, पी.डब्ल्यू.7 और कांस्टेबल प्रकाश नारायण, पी.डब्ल्यू.8।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. बचाव पक्ष ने कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को डी.डब्ल्यू. 1 और छोटे सिंह को डी.डब्ल्यू. 2 के रूप में पेश किया। बचाव पक्ष ने पहचान मेमो (प्रदर्श ख 1) और आवेदनों की प्रति (प्रदर्श ख 2) पर भी अवलम्ब लिया।

10. बृजराज सिंह, पी.डब्ल्यू.1, शिकायतकर्ता और प्रथम सूचनादाता हैं। वे जदुनाथ सिंह के सगे भाई और मृतक लाला राम के पुत्र हैं। उन्होंने शपथपूर्वक कहा है कि उनके परिवार और मृतक हमीर सिंह के परिवार के बीच दुश्मनी थी। दो परिवारों के बीच समेकन न्यायालयों में मुकदमा चल रहा था और इसके अलावा सराय अगत गांव में जमीन के एक टुकड़े की बिक्री को लेकर दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी। दिनांक 22/23.10.1981 की रात को वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के अंदर था, जबकि उसके पिता, लाला राम और छोटा भाई बैठका में थे, लगभग 12 बदमाश आधी रात के आसपास उसके घर में घुस गए। मृतक हमीर सिंह, वर्तमान आरोपी और तीन अन्य व्यक्ति, जिनकी पहचान वह नहीं कर सका, सहित अन्य लोग मौजूद थे। अचानक ही बदमाशों ने तीन-चार गोलियां चलाईं। आरोपी जय सिंह, पून सिंह और पति राम के पास बंदूकें थीं, जबकि आरोपी राजा राम और रघुबीर के पास कट्टा था। बाकी बदमाशों के पास लाठियां और डंडे थे। शोर सुनकर उसके पिता और भाई भी घर के अंदर आ गए और आरोपियों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिसके परिणामस्वरूप उसके भाई जदुनाथ सिंह की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता लाला राम और भाई उजिर सिंह को गोली लगने से चोटें आईं। उनके पिता लाला राम की बाद में उन्हीं चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने टॉर्च और लालटेन की रोशनी में सभी आरोपियों की पहचान कर ली थी। इसके बाद उन्होंने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क 2) तैयार करवाई और घायलों के साथ थाने ले गए। रिपोर्ट थाने में ही दर्ज कराई गई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

11. पी.डब्ल्यू. 2, उजिर सिंह, पी.डब्ल्यू. 1 बृजराज सिंह का सगा भाई है और वह घायल है। उसने भी अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी सुनाई है और पी.डब्ल्यू. 1 बृजराज सिंह के बयान की सभी बातों की पुष्टि की है। उसने बताया कि वह अपनी बैठक में था जब आधी रात के करीब उसने अपने घर के अंदर गोलीबारी की आवाज सुनी। वह, उसका भाई और पिता घर के अंदर गए और वहाँ उन्होंने आरोपियों और उनके साथियों को बंदूकों और अन्य हथियारों से लैस देखा। आरोपियों और उनके साथियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप वह, उसका भाई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जदुनाथ सिंह और पिता लाला राम घायल हो गए। बाद में उन्होंने फतेहगढ़ के जिला अस्पताल में अपनी चोटों की चिकित्सकीय जांच करवाई।

12. डॉ. सी.एन. भल्ला, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल फतेहगढ़ (पी.डब्ल्यू. 3) ने शपथपूर्वक कहा है कि 24.10.1981 को दोपहर लगभग 3 बजे उन्होंने जदुनाथ सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया और उनके शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाईं-

1- गोली प्रवेश का एक घाव 4 सेमी x 3.5 सेमी चौड़ा है, जो छाती से पेट तक फैला हुआ है। छाती के बाईं ओर के किनारों पर गहरे घाव हैं, जो उल्टे और काले पड़ चुके हैं। घाव के आसपास की त्वचा पर कालापन मौजूद है। घाव बाएं निप्पल से 2 सेमी दूर, 7 बजे की स्थिति पर स्थित है।

11. डॉक्टर के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले लगी चोटों के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव है। अभिलेख में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शक 13 है।

12. इस डॉक्टर ने 23.10.1981 को उजिर सिंह की भी जांच की थी और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं:-

I- बाएं हाथ के बाहरी हिस्से पर 4 सेमी x 3 सेमी का एक घाव है। इसके किनारे उल्टे और गहरे रंग के हैं, बाएं कंधे के जोड़ से 15 सेमी नीचे तक घाव के आसपास कालापन मौजूद है।

II. बाएँ हाथ के भीतरी भाग पर निकास के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 5 सेमी x 4 सेमी का एक घाव है। किनारे बाहर की ओर मुड़े हुए और फटे हुए हैं। मांसपेशियों का एक हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। नीचे की हड्डी (ह्यूमरस) टूटी हुई है। रक्तस्राव हो रहा है।

III- प्रवेश त्वचा से लेकर छाती की गुहा तक की गहराई में मांसपेशियों तक गोली लगने के कई घाव हैं। महत्वपूर्ण अंग में होने के कारण जांच नहीं की गई और छाती के बाएं पार्श्व भाग में 7 सेमी x 6 सेमी के क्षेत्र में कुछ स्लिप शॉट, बगल से 10 सेमी नीचे 0-25 सेमी x 0.25 सेमी 0-30 सेमी, 0.3 सेमी x 0.3 सेमी।

13. डॉक्टर ने राय दी कि चोटें आग्नेयास्त्रों से लगी थीं और ताजा थीं। चोटों को निगरानी में रखा गया और एक्स-रे कराने की सलाह दी गई। अभिलेख में चोट रिपोर्ट प्रदर्शक 4 के रूप में दर्ज है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. डॉ. ए.के. दुबे, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल फतेहगढ़, पी.डब्ल्यू. 4, ने शपथपूर्वक कहा है कि 23.10.1981 को दोपहर लगभग 1 बजे, हमने लाला राम के शव का पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाईं।

I- गोली प्रवेश का एक घाव $1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " x उदर गुहा की गहराई बाईं ओर पीठ पर इलियक क्रेस्ट से 4" ऊपर और मध्य रेखा से 342" दूर मार्जिन उलटा कालापन मौजूद दिशा पीछे से आगे है।

II- गोली प्रवेश के घाव के चारों ओर 2 इंच के भीतर गोली लगने के कई घाव, प्रत्येक का माप $1\frac{1}{8}$ " x $1\frac{1}{8}$ " x त्वचा से मांसपेशी तक गहरा है।

15. डॉक्टर के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव था। अभिलेख में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शक 7 है।

16. इस मामले के विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक लाल राम शर्मा, पी.डब्ल्यू. 5 हैं। उन्होंने बताया है कि 23.10.1981 को उनकी तैनाती मोहम्मदबाद थाने में थी। वे घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने जदुनाथ सिंह के शव का पंचायत नामा प्रदर्शक 9 तैयार किया। उन्होंने जदुनाथ सिंह के शव का चालान लैश, फोटो लैश, सी.एम.ओ. को पत्र और आर.आई. को पत्र भी तैयार किया। उसने यह भी कहा है कि उसने जदुनाथ सिंह के शव को सील कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए फतेहगढ़ के जिला अस्पताल ले जाने के लिए कांस्टेबल को सौंप दिया। उन्होंने आगे कहा है कि 25.10.1981 को उन्होंने आरोपी पति राम को उसके घर से गिरफ्तार किया था और उसके लाइसेंस बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया था जिसे सील कर दिया गया था और इस संबंध में एक मेमो (प्रदर्शक 14) तैयार किया गया था। उसने जदुनाथ सिंह के शव के खून से सने कपड़े (प्रदर्शक 24 और 25) भी ले लिए।

17. पी.डब्ल्यू. 6, सूरज मल, भी इस मामले के विवेचनाधिकारी हैं। उन्होंने चिक रिपोर्ट (प्रदर्शक 15) और जी.डी. प्रविष्टि (प्रदर्शक 16) को सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बृजराज सिंह का बयान थाने में ही दर्ज कराया था और उन्होंने लाला राम का बयान (प्रदर्शक 17) भी थाने में ही दर्ज कराया था। उन्होंने आगे बताया कि लाला राम को घायलावस्था में थाने लाया गया था। वह बोल रहे थे और पूरी तरह होश में थे। बाद में अस्पताल ले जाते समय लाला राम की मृत्यु हो गई। इसके बाद वे घटनास्थल पर गये, उसका निरीक्षण किया और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क 18) तैयार किया। उसने घटनास्थल से 7 प्रयोग किए गए कारतूस भी ले लिए, उन्हें सील कर दिया और उसका मेमो (प्रदर्श क 19) तैयार किया। उक्त कारतूस सामग्री प्रदर्श 26 से 33 हैं। उन्होंने घटना स्थल से सादी और रक्तरंजित मिट्टी को दो अलग-अलग टिन में भी लिया, जैसा कि मेमो प्रदर्श क 20 में दर्शाया गया है। उन्होंने गवाहों की टार्चों और लालटेनों का भी निरीक्षण किया और मेमो (प्रदर्श क 21 और क 22) तैयार किए। उन्होंने लाला राम के शव का पंचायत नामा, चालान लैश, फोटो लैश और अन्य कागजात भी तैयार किए। आवश्यक औपचारिकताओं और जांच पूरी करने के बाद, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र (प्रदर्श क-29 और 30) प्रस्तुत किए गए।

18. कांस्टेबल रामजी लाल का बयान औपचारिक प्रकृति का है और अपने शपथपत्र से उन्होंने यह साबित किया है कि वे घायल लाला राम और उजिर सिंह को थाने से फतेहगढ़ जिला अस्पताल ले गए थे। उन्होंने यह भी साबित किया है कि अस्पताल जाते समय लाला राम की मृत्यु हो गई थी। इस गवाह का बयान औपचारिक प्रकृति का है।

19. इसी तरह का बयान कांस्टेबल प्रकाश नारायण का भी है, जो जदुनाथ सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए थे।

20. डी.डब्ल्यू. 1, कांस्टेबल, राजेंद्र सिंह ने पहचान मेमो प्रदर्श ख 1 को साबित कर दिया है, जिसे तत्कालीन मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया था। इस दस्तावेज़ के माध्यम से बचाव पक्ष यह साबित करना चाहता है कि कथित घटना के बाद, कुछ आरोपियों की पहचान की गई और उस पहचान में, गवाहों, बृजराज सिंह (पी.डब्ल्यू. 1) और उजिर सिंह (पी.डब्ल्यू. 2) ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके घर पर डकैती हुई थी और यह हत्या का मामला नहीं था। पी.डब्ल्यू. 2, छोटे सिंह ने भी शपथपूर्वक बयान दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को लाला राम के घर में डकैती की घटना घटी थी।

21. उपर्युक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता संख्या 3 और 7, अर्थात् पृथ्वी राज और पति राम को छोड़कर, सभी अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए हमने केवल अपीलकर्ता संख्या 3 और 7 के संबंध में ही अपील की सुनवाई की है।

22. प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनने, अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता संख्या 3, पृथ्वी राज को लाठी/डंडा हाथ में रखने की भूमिका सौंपी गई थी, जबकि अपीलकर्ता संख्या 7 को बंदूक हाथ में रखने और गोली चलाने की भूमिका सौंपी गई थी। तीन अज्ञात व्यक्तियों को छोड़कर, सभी आरोपी शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए पहले से ही परिचित हैं। अपीलकर्ता संख्या 3, पृथ्वी राज को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और उस पर केवल लाठी/डंडा रखने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता संख्या 3 का कथित अपराध करने का कोई मकसद नहीं था और जमीन से जुड़े पुराने मुकदमे के कारण आरोपी हमीर सिंह और श्री राम की शिकायतकर्ता से दुश्मनी थी। दुश्मनी एक दोधारी तलवार है। एक ओर, शत्रुता अपराध करने का मकसद प्रदान कर सकती है; दूसरी ओर, यह झूठे फँसाए जाने की संभावना को नकारती नहीं है। अपीलकर्ता संख्या 3 शिकायतकर्ता के गाँव का निवासी नहीं है। पहचान परेड के दौरान, शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट को अपने घर में हुई डकैती के बारे में सूचित किया, जिसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू. 1 और 2 ने की। पी.डब्ल्यू. 1, बृज राज सिंह, घटना स्थल पर उपस्थित नहीं प्रतीत होता है क्योंकि पी.डब्ल्यू. 2, उजिर सिंह ने घटना के समय अपनी उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा है। मृतक और घायल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह प्रतीत नहीं होता कि उनमें से किसी को भी लाठी/डंडे से कोई घातक चोट लगी हो। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत दिए गए बयान से पता चलता है कि वर्ष 1987 में उसकी आयु 25 वर्ष थी और अब उसकी आयु लगभग 63 वर्ष है।

23. अपीलकर्ता संख्या 7, पति राम के संबंध में, हमने पाया कि उसे आरोपी जय सिंह और पूरन सिंह के साथ हाथ में बंदूक रखने का काम सौंपा गया था, जबकि राजाराम और रघुबीर को देसी पिस्तौल दी गई थी। अन्य आरोपियों को लाठी/डंडा दिया गया था। जदुनाथ सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई और लाला राम की बाद में मृत्यु हो गई। उजिर सिंह घायल गवाह था। जैसा कि पहचान मेमो में दर्ज है, घटना का सबसे प्रारंभिक संस्करण दर्शाता है कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 ने घटना को डकैती के रूप में वर्णित किया था, जिसमें ज्ञात शत्रुओं द्वारा किसी भी जानलेवा हमले का कोई आरोप नहीं था। यह घटना आपसी दुश्मनी या डकैती का परिणाम थी या नहीं, इस बारे में संदेह बना हुआ है। अभियोजन पक्ष ने मृतक लाला राम के परिवार और आरोपी श्री राम, पूरन सिंह आदि के बीच की दुश्मनी को अपराध का



मकसद साबित करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, मकसद हमेशा दोधारी तलवार होता है।

24. वर्तमान मामले में, लाला राम के परिवार और हमीर सिंह के परिवार के बीच भूमि विवाद था। अपीलकर्ता संख्या 7, पति राम, एटा जिले के मेहमादपुर नामक एक अन्य गाँव का निवासी है, न कि शिकायतकर्ता के गाँव का निवासी है, और पक्षों के बीच भूमि विवाद में उसकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या 7 के खिलाफ किसी भी मकसद को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया था। पी.डब्ल्यू. 1 और पी.डब्ल्यू. 2 दोनों लाला राम के बेटे हैं और तथ्य के गवाह भी हैं। यह घटना लगभग आधी रात को घटी और विवेचनाधिकारी को न तो लालटेन और न ही टॉर्च के रूप में कोई प्रकाश स्रोत मिला और न ही कोई बरामदगी मेमो बनाया गया। जब अदालत को यह विश्वास दिलाया जाता है कि रात में घटी घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला केवल उन संबंधित गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया है जिनकी आपस में शत्रुता थी, तो पुष्टि के लिए स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 149 की सहायता से इस धारणा के आधार पर फंसाया गया है कि सभी आरोपियों ने एक सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा बनाकर कथित अपराध किया, जबकि गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों द्वारा एक सामान्य उद्देश्य के निष्पादन में अपराध किया गया था। अपीलकर्ता संख्या 7, पति राम को गोली चलाने में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, न ही उसे कथित अपराध करने में कोई भूमिका सौंपी गई है। किसी घटना में, जो संभवतः डकैती की घटना हो सकती है, तीन नामजद आरोपियों के साथ बंदूक के साथ मात्र उपस्थिति यह साबित करने के लिए अपर्याप्त है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने में कोई साझा उद्देश्य रखा था। अपीलकर्ता संख्या 7 से या मृतक के शरीर से कथित रूप से बरामद हथियार या कारतूसों की कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह घटना संभावित रूप से जानलेवा हमले और डकैती दोनों से जुड़ी प्रतीत होती है। यह स्थापित कानून है कि जहां दो दृष्टिकोण संभव हों, वहां आरोपी के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज अपीलकर्ता संख्या 7 के बयान के आधार पर, 1987 में उनकी आयु लगभग 50 वर्ष थी और अब उनकी आयु लगभग 88 वर्ष हो गई है। हमारी राय है कि विचारण न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा अपीलकर्ता संख्या 3 और 7 को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष उचित नहीं हैं।

25. विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है।

26. अपीलकर्ता संख्या 3 और 7 जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत बन्धपत्र और जमानतदारों को उन्मुक्त किया जाता है।

27. उपर्युक्त आपराधिक अपील को अनुमति दी जाती है।

28. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजे और दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय को इस निर्णय की सूचना दे।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

8 जनवरी 2026

रुचि अग्रहरि